127 JM

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प. 5(77) कृषि / ग्रुप–2 / 2003

जयपुर, दिनांक 28/4/08

आदेश

राजस्थान कृषि उपज विपणी (संशोधित) नियम, 2006 के नियम 56 ए के उपनियम (3) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निजी उपमण्डी यार्ड या निजी उपभोक्ता कृषक मण्डी के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क रू. 50,000/– (अंके पचास हजार रू.) निर्धारित करती है । निजी उपमण्डी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारियों/व्यापारियों से अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उद्ग्रहीत मण्डी शुल्क का कोई भी अंश निजी उपमण्डी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारक को नहीं दिया जाएगा ।

आज्ञा से,

(नसीम हुसैन)
उप शासन सचिव

2863 / 29-4-08

28-4-08

MO(K)

29-4-08

24 JD

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग ।
3– प्रशासक, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
4– निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त को अपने स्तर से सूचित करावें ।

उप शासन सचिव

प्रमाणित